

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज०)
मुकदमा किस्म मुकदमा रज्जु दिनांक निर्णय दिनांक
47/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट 04.02.2019 14.03.2019

उनवान सरकार बनाम रेशमा पत्नी स्व० धर्मवीर जाति नायक निवासी सोहली
तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज०)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सोहली ने सम्वत् 2075 में इस आशय की
रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सोहली की राजकीय भूमि गै०मु० जोहड़ ख० न० 491 कुल
रकबा 3.85 है० किस्म गै० मु० जोहड़ में से 0.02 है० पर अतिक्रमी रेशमा पत्नी स्व० धर्मवीर
जाति नायक निवासी सोहली ने अवैध रूप से मकान बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप
से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर
अतिक्रमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी
किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा एवं नोटिस
जबाब पेश किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी
द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है।
अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये
जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से
बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से मकान बनकर
अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 6.79/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के
ख० न० ~~491~~ लगान 0.14 की 50 गुणा जुर्माना राशि 7/- बतौर शारित कायम किये
जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू० अ० निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू० अ० निरीक्षक को राजकीय भूमि से
अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद
तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

36
27 7/-
Suman

(प्रभदरसि व्यास)
तहसीलदार बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)